जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स जय चन्द लाल डागा, एम.एल. नम्बर 88/2018, रेफरेन्स नम्बर 2018100001756, क्षेत्रफल 3.9787 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,67,300 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम–इन्दो का बाला तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर, **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 25.4497 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–19,96,151 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है** में बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **02.06.2025** को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर/ रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	**मैसर्स जय चन्द लाल डागा,**	**एम.एल. नम्बर 88/2018, रेफरेन्स नम्बर 2018100001756**	**3.9787 हैक्टेयर**	**2,67,300 टी.पी.ए. (रोम)**
2	**मैसर्स विनायक माईन्स एण्ड मिनरल्स**	**एम.एल. नम्बर 01/2023**	**4.9798 हैक्टेयर**	**4,27,600 टी.पी.ए.**
3	**मैसर्स योगेन्द्र सिंह दहिया**	**एम.एल. नम्बर 25/2019**	**3.9875 हैक्टेयर**	**4,60,564 टी.पी.ए.**
4	**मैसर्स श्रीमति शोमा चौधरी**	**एम.एल. नम्बर 05/2020**	**3.6616 हैक्टेयर**	**4,39,307 टी.पी.ए.**
5	**मैसर्स श्री दया मिनरल्स**	**एम.एल. नम्बर 36/2014**	**4.8641 हैक्टेयर**	**1,68,750 टी.पी.ए.**
6	**मैसर्स श्री विपिन दहिया**	**एम.एल. नम्बर 17/2018**	**3.9780 हैक्टेयर**	**2,32,630 टी.पी.ए.**

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 01.05.2025 को समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है। श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर का क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होने हेतु स्वीकृति पत्र **परिशिष्ट "स"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर के प्रतिनिधि ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स जय चन्द लाल डागा** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **''मैसर्स फुलग्रो एनवायरमेन्टल एण्ड इंजिनियरिंग सर्विसेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड.''** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **''मैसर्स फुलग्रो एनवायरमेन्टल एण्ड इंजिनियरिंग सर्विसेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड.''** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट ग्राम इन्दो का बाला तहसील–कोलायत जिला–बीकानेर में खनिज–बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन हेतु प्रस्तावित है **जिसका एम.एल. नम्बर 88/2018, रेफरेन्स नम्बर 2018100001756,** कुल खनन क्षेत्रफल **3.9787** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **2,67,300 टी.पी.ए. (रोम) {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 25.4497 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–19,96,151 टी.पी.ए.(रोम)}** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री शशिनाथ पुरोहित द्वारा लिखित में आक्षेप प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रस्तावित खनन ईकाई में जनसुनवाई से पूर्व ही खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिससे सरकार को अत्यधिक राजस्व का नुकसान हो रहा है। अतः पूर्ण जाँच के पश्चात ही उक्त खनन ईकाई को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जावे। श्री शशिनाथ पुरोहित द्वारा खनन ईकाई के संदर्भ में दिये गये आक्षेप की प्रतिलिपि **परिशिष्ट "द"** पर संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स जय चन्द लाल डागा, एम.एल. नम्बर 88/2018, रेफरेन्स नम्बर 2018100001756, क्षेत्रफल 3.9787 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,67,300 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम–इन्दो का बाला तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {मैसर्स जय चन्द लाल डागा, एम.एल. नम्बर 88/2018, रेफरेन्स नम्बर 2018100001756, क्षेत्रफल 3.9787 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,67,300 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स विनायक माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 01/2023, क्षेत्रफल 4.9798 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,27,600 टी.पी.ए; मैसर्स योगेन्द्र सिंह दहिया, एम.एल. नंम्बर 25/2019, क्षेत्रफल 3.9875 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,60,564 टी.पी.ए; मैसर्स श्रीमंति शोभा चौधरी, एम.एल. नम्बर 05/2020, क्षेत्रफल 3.6616 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,39,307 टी.पी.ए; मैसर्स श्री दया मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 36/2014, क्षेत्रफल 4.8641 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,68,750 टी.पी.ए; मैसर्स श्री विपिन दहिया, एम.एल. नम्बर 17/2018, क्षेत्रफल 3.9780 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,32,630 टी.पी.ए;} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 25.4497 हैक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–19,96,151 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित में बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.06.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर

दिनांकः–02.06.2025 समय दोपहर 3.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	राकेश कुमार यादव	एस.डी.ओ. कोलायत	[signature]
2.	Gimewlya	AEE, RSPCB, BKN	[signature]
3.	किशनाराम पंवार	सरपंच प्रतिनिधि चानी	[signature]
4.	राजेश	कोटड़ी	Rajesh
5.	नीलेश	कोलायत	नीलेश
6.	उमाशंकर	कोटड़ी	Umashankar
7.	हीराराम	कोलायत	हीराराम
8.	जेठाराम	कोटड़ी	जेठाराम
9.	कानाराम	कोटड़ी	कानाराम
10.	गोविन्दराम	कोटड़ी	[signature]

11.	नारायणसिंह	चानी	नारायणसिंह
12.	शेरसिंह	बीकानेर	Sher S
13.	कुमाराम	चानी	कुमाराम
14.	महेशप्रकाश	कोटडी	[illegible]
15.	कोजाराम	चानी	कोजाराम
16.	भंवरसिंह	चानी	भंवरसिंह
17.	मदनलाल	चानी	[illegible]
18.	नेणमालसिंह	चानी	नेणमालसिंह
19.	लक्ष्य	~~laksmya~~ बीकानेर	laksmya
20.	Janchid Lal Soni	Bescom	J.L.S.
21.	Ramesh Kumar	Lolayat	[illegible]
22.	Anil Kumar	Chani	Anil Kumar
23.	पूनम चन्द	चानी	[illegible]
24.	राजेन्द्र लाल	चानी	[illegible]
25.	मनोहरसिंह	चानी	मनोहरसिंह
26.	दलीपसिंह	डेह (एडवोकेट)	[illegible]
27.	Shum	बीकानेर [illegible]	Shr
28.	आसूराम	कोटडी	[illegible]
29.	मोहितलाल	बीकानेर	[illegible]
30.	आदित्यनाथ		[illegible]
31.	सुरेन्द्र शर्मा		Surendr.
32.	Manindra Gaur	fees, Jaipur	[illegible]
33.			

☎ 0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No SPL-33, Phase-2nd, Bhichhwal Indusrial Area,
Bikaner – 334001
Email:-ro.bikaner@gmail.com **environnment.rajasthan.gov.in**

राप्रनिम / क्षे.का. / बीका / बी.एम.–775 1650-1651	**दिनांक** 02/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,
कोलायत, जिला–बीकानेर

विषयः– खनन परियोजना मैसर्स जय चन्द लाल डागा, एम.एल. नम्बर 88 / 2018 रेफरेन्स नम्बर 2018100001756, निकट ग्राम इन्दो का बाला, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स जय चन्द लाल डागा, एम. एल. नम्बर 88 / 2018 रेफरेन्स नम्बर 2018100001756, निकट ग्राम इन्दो का बाला, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर की पर्यावरणीय स्वींकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 02.06.2025 को दोपहर 3.00 बजे ग्राम पंचायत भवन चानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में आयोजित की जानी है।

इसी क्रम में लेख है अपरिहार्य कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को जनसुनवाई में उपस्थित होने बाबत मनोनीत किया जाता है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

परिशिष्ट-'उ'

(1)

दिनांक :

सेवामें

श्रीमान् पर्यावरण अधिकारी,
पर्यावरण विभाग, बीछवाल,,
बीकानेर (राजस्थान)।

विषय : ग्राम इन्दों का बाला, चानी, तहसील – कोलायत, जिला – बीकानेर में खनन पट्टा संख्या 88 / 2018 क्षेत्रफल 3.9787 हेक्टेयर में होने वाली जन सुनवाई में आपत्ति में अपीलार्थ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत हमें ज्ञात हुआ है कि ग्राम – इन्दों का बाला, चानी में खनन पट्टा 88 / 2018 जो कि श्रीमान जयचन्द लाल डागा के पक्ष में पर्यावरण स्वीकृति हेतु एक बैठक का आयोजन आज दिनांक 02.06.2025 को पर्यावरण समिति द्वारा रखा गया है जिसमें हमारे द्वारा निम्न आपत्तियाँ दर्ज करवाने की कृपा करें।

1. उपरोक्त होने वाली लीज में यहां की भूमि कंकरीली और पथरीली है जिसके क्षेत्र में होकर वर्षा का जल इन्दों का बाला, चानी क्षेत्र में जाता है और थोड़ी सी सेलाबी उत्पादन मृदा में शीतकालीन फसल होती है और इसी जल बहाव क्षेत्र में जहां वर्षा का पानी ईर्द गिर्द इकठ्ठा होता है वहां तालाब तलाई आदि भी है और ये तालाब तलाई पेय जल के सघन स्त्रोत है।
2. विदित रहे कि इस जल बहाव में सघन छायादार वृक्ष है जिनकी छाया में गांव का पशुधन आश्रय लेता है उचित तो यह है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए खुली कृषि भूमि छोड़ दी जाये लेकिन खनिज विभाग केवल खनिज उत्पादकता के लिए ही कार्य करता है जिसे भूमि और मृदा की उपयोगिता को देखते हुए नहीं करनी चाहिए। इस सबंध में सम्बधित तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, जिला कलक्टर, संभागीय आयुक्त, पर्यावरण अधिकारी महोदय से भूमि की कृषि परियोजनार्थ मृदा उपयोगिता जल बहाव क्षेत्र की दृष्टि से जांच करवाई जानी चाहिए।

निवेदन है कि जयचन्द लाल डागा द्वारा तहसील – कोलायत व बीकानेर के इसके समवर्ती क्षेत्र में निम्न प्रकार की खानें स्वीकृत है और चालु है जिसके एम एल नं. विवरण इस प्रकार है :
32 / 2018, 44 / 2018, 34 / 2018, 5 / 2003, 31 / 2018, 12 / 2006, 43 / 2009, 1 / 1993, 8 / 2002, 3 / 2018, 44 / 2011, 10 / 2020, 46 / 2009 तथा 45 / 2018 ये खानें पर्यावरण दृष्टि से निरस्त योग्य है क्योंकि इन लीजों में सम्पूर्ण गांवों की कृषि परियोजनार्थ उपलब्ध भूमि में किये जा रहे खनन कार्य से निकलने वाली मिट्टि के खंड़हर तथा अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे है।

उपरोक्त भूमि जिस पर सुनवाई हो रही है उस भूमि [illegible] इनकी तरफ से पहले ही गैर-कानूनी तरीके से खनन हो चुका है तथा इसका रिफलिंग भी हो चुका है जिससे सरकार को करोड़ो रुपए का राजस्व नुकसान हो चुका है, जिस लीज पर पहले से खनन हो चुका है उस पर नई लीज की स्वीकृति न दे।

उपरोक्त इन सभी लीजों पर पर्यावरण सम्बधित अनियमिताएं भरपूर है जिसका आपको अवलोकन करना चाहिए व जितना बजट इन खानों के लिए आपको पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए आपको बताया गया है उसका भी अवलोकन आपको करके इस पर्यावरण स्वीकृति को मंजूरी दी जाये।

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान खनिज मंत्री महोदय, खनिज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, सचिवालय, जयपुर।
4. श्रीमान मंत्री महोदय पर्यावरण विभाग, जयुपर।
5. श्रीमान संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
6. श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर।
7. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीकोलायत, बीकानेर।
8. श्रीमान तहसीलदार श्रीकोलायत, बीकानेर।
9. श्रीमान संरपच, ग्राम पंचायत चानी।
10. श्रीमान पर्यावरण अधिकारी, बीछवाल, बीकानेर।

प्रार्थीगण

Sher Singh

9102485252 शेरसिंह
9664068933 त्रिलोकनाथ
9829770993 सुनील
8290022932 आशीष
8561831980 रामलाल
6375986650 रामनिवास

Recd.
2/6/2020

परिशिष्ट-य

(2)

दिनांक : 02/06/2025

सेवामें

श्रीमान् पर्यावरण अधिकारी,
पर्यावरण विभाग, बीछवाल,,
[illegible]

विषय : ग्राम इन्दों का बाला, चानी, तहसील – कोलायत, जिला – बीकानेर में खनन पट्टा संख्या 88/2018 क्षेत्रफल 3.9787 हेक्टेयर में होने वाली जन सुनवाई में आपत्ति में अपीलार्थ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषर्यान्तर्गत हमें ज्ञात हुआ है कि ग्राम –- इन्दों का बाला, चानी में खनन पट्टा 88/2018 जो कि श्रीमान जयचन्द लाल डागा के पक्ष में पर्यावरण स्वीकृति हेतु एक बैठक का आयोजन आज दिनांक 02.06.2025 को पर्यावरण समिति द्वारा रखा गया है जिसमें हमारे द्वारा निम्न आपत्तियाँ दर्ज करवाने की कृपा करें।

1. [illegible] चानी क्षेत्र में जाता है और थोड़ी सी सेलाबी होकर वर्षा का जल इन्दों का बाला, चानी क्षेत्र में जाता है और थोड़ी सी सेलाबी उत्पादन मृदा में शीतकालीन फसल होती है और इसी जल बहाव क्षेत्र में जहां वर्षा का पानी इर्द गिर्द इकट्ठा होता है वहां तालाब तलाई आदि भी है और ये तालाब तलाई पेय जल के सघन स्त्रोत है।
2. विदित रहे कि इस जल बहाव में सघन छायादार वृक्ष है जिनकी छाया में गांव का पशुधन आश्रय लेता है उचित तो यह है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए खुली कृषि भूमि छोड़ दी जाये लेकिन खनिज विभाग केवल खनिज उत्पादकता के लिए ही कार्य करता है जिसे भूमि और मृदा की उपयोगिता को देखते हुए नहीं करनी चाहिए। इस सबंध में सम्बधित तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, जिला कलक्टर, संभागीय आयुक्त, पर्यावरण अधिकारी महोदय से भूमि की कृषि परियोजनार्थ मृदा उपयोगिता [illegible]।

निवेदन है कि जयचन्द लाल डागा द्वारा तहसील – कोलायत व. बीकानेर के इसके समवर्ती क्षेत्र में निम्न प्रकार की खानें स्वीकृत है और चालु है जिसके एम एल नं. विवरण इस प्रकार है :
32/2018, 44/2018, 34/2018, 5/2003, 31/2018, 12/2006, 43/2009, 1/1993, 8/2002, 3/2018, 44/2011, 10/2020, 46/2009 तथा 45/2018 ये खानें पर्यावरण दृष्टि से निरस्त योग्य है क्योंकि इन लीजों में सम्पूर्ण गांवों की कृषि परियोजनार्थ उपलब्ध भूमि में किये जा रहे खनन कार्य से निकलने वाली मिट्टि-के खंड़हर तथा अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे है।

उपरोक्त इन सभी लीजों पर पर्यावरण सम्बधित अनियमिताएं भरपूर है जिसका आपको अवलोकन करना चाहिए व जितना बजट इन खानों के लिए आपको पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए आपको बताया गया है उसका भी अवलोकन आपको करके इस पर्यावरण स्वीकृति को मंजूरी दी जाये।

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान खनिज मंत्री महोदय, खनिज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, सचिवालय, जयपुर।
4. श्रीमान मंत्री महोदय पर्यावरण विभाग, जयुपर।
5. श्रीमान संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
6. श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर।
7. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीकोलायत, बीकानेर।
8. श्रीमान तहसीलदार श्रीकोलायत, बीकानेर।
9. श्रीमान संरपच, ग्राम पंचायत चानी।
10. श्रीमान पर्यावरण अधिकारी, बीछवाल, बीकानेर।

प्रार्थीगण

महेश प्रकाश सांखी

प्रखंड अध्यक्ष - विश्व हिन्दू परिषद

तहसील → श्री कोलायत

9983003333

(3)

परिशिष्ट - 'र'

दिनांक :

सेवामें

श्रीमान् खनिज अभियन्ता,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
बीकानेर (राजस्थान)।

विषय : ग्राम इन्दों का बाला, चानी, तहसील – कोलायत, जिला – बीकानेर में खनन पट्टा संख्या 88/2018 क्षेत्रफल 3.9787 हेक्टेयर में होने वाली जन सुनवाई में आपत्ति में अपीलार्थ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषर्यान्तर्गत हमें ज्ञात हुआ है कि ग्राम – इन्दों का बाला, चानी में खनन पट्टा 88/2018 जो कि श्रीमान जयचन्द लाल डागा के पक्ष में पर्यावरण स्वीकृति हेतु एक बैठक का आयोजन आज दिनांक 02.06.2025 को पर्यावरण समिति द्वारा रखा गया है जिसमें हमारे द्वारा निम्न आपत्तियाँ दर्ज करवाने की कृपा करें।

1. उपरोक्त होने वाली लीज में यहां की भूमि कंकरीली और पथरीली है जिसके क्षेत्र में होकर वर्षा का जल इन्दों का बाला, चानी क्षेत्र में जाता है और थोड़ी सी सेलाबी उत्पादन मृदा में शीतकालीन फसल होती है और इसी जल बहाव क्षेत्र में जहां वर्षा का पानी ईर्द गिर्द इकट्ठा होता है वहां तालाब तलाई आदि भी है और ये तालाब तलाई पेय जल के सघन स्त्रोत है।
2. विदित रहे कि इस जल बहाव में सघन छायादार वृक्ष है जिनकी छाया में गांव का पशुधन आश्रय लेता है उचित तो यह है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए खुली कृषि भूमि छोड़ दी जाये लेकिन खनिज विभाग केवल खनिज उत्पादकता के लिए ही कार्य करता है जिसे भूमि और मृदा की उपयोगिता को देखते हुए नहीं करनी चाहिए। इस सबंध में सम्बधित तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, जिला कलक्टर, संभागीय आयुक्त, पर्यावरण अधिकारी महोदय से भूमि की कृषि परियोजनार्थ मृदा उपयोगिता जल बहाव क्षेत्र की दृष्टि से जांच करवाई जानी चाहिए।

निवेदन है कि जयचन्द लाल डागा द्वारा तहसील – कोलायत व बीकानेर के इसके समवर्ती क्षेत्र में निम्न प्रकार की खानें स्वीकृत है और चालु है जिसके एम एल नं. विवरण इस प्रकार है :
32/2018, 44/2018, 34/2018, 5/2003, 31/2018, 12/2006, 43/2009, 1/1993, 8/2002, 3/2018, 44/2011, 10/2020, 46/2009 तथा 45/2018 ये खानें पर्यावरण दृष्टि से निरस्त योग्य है क्योंकि इन लीजों में सम्पूर्ण गांवों की कृषि परियोजनार्थ उपलब्ध भूमि में किये जा रहे खनन कार्य से निकलने वाली मिट्टि के खंड़हर तथा अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे है।

उपरोक्त इन सभी लीजों पर पर्यावरण सम्बधित अनियमिताएं भरपूर है जिसका आपको अवलोकन करना चाहिए व जितना बजट इन खानों के लिए आपको पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए आपको बताया गया है उसका भी अवलोकन आपको करके इस पर्यावरण स्वीकृति को मंजूरी दी जाये।

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान खनिज मंत्री महोदय, खनिज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, सचिवालय, जयपुर।
4. श्रीमान मंत्री महोदय पर्यावरण विभाग, जयुपर।
5. श्रीमान संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
6. श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर।
7. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीकोलायत, बीकानेर।
8. श्रीमान तहसीलदार श्रीकोलायत, बीकानेर।
9. श्रीमान संरपच, ग्राम पंचायत चानी।
10. श्रीमान पर्यावरण अधिकारी, बीछवाल, बीकानेर।

प्रार्थीगण

मोहनराम
8955660073

मनोहरसिंह खींची
गाव - चानी

पवनम

Recd
2/6/25

प्रभुसिंह
9928815351

M, 9929589151

2/06/2025

मुकेश
7023994036

(4)
परिशिष्ट - ल

दिनांक :

सेवामें

श्रीमान् पर्यावरण अधिकारी,
पर्यावरण विभाग, बीछवाल,,
बीकानेर (राजस्थान)।

विषय : ग्राम इन्दों का बाला, चानी, तहसील – कोलायत, जिला – बीकानेर में खनन पट्टा संख्या 88 / 2018 क्षेत्रफल 3.9787 हेक्टेयर में होने वाली जन सुनवाई में आपत्ति में अपीलार्थ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषर्यान्तर्गत हमें ज्ञात हुआ है कि ग्राम – इन्दों का बाला, चानी में खनन पट्टा 88 / 2018 जो कि श्रीमान जयचन्द लाल डागा के पक्ष में पर्यावरण स्वीकृति हेतु एक बैठक का आयोजन आज दिनांक़ 02.06.2025 को पर्यावरण समिति द्वारा रखा गया है जिसमें हमारे द्वारा निम्न आपत्तियाँ दर्ज करवाने की कृपा करें।

1. उपरोक्त होने वाली लीज में यहां की भूमि कंकरीली और पथरीली है जिसके क्षेत्र में होकर वर्षा का जल इन्दों का बाला, चानी क्षेत्र में जाता है और थोड़ी सी सेलाबी उत्पादन मृदा में शीतकालीन फसल होती है और इसी जल बहाव क्षेत्र में जहां वर्षा का पानी इर्द गिर्द इकठ्ठा होता है वहां तालाब तलाई आदि भी है और ये तालाब तलाई पेय जल के सघन स्त्रोत है।
2. विदित रहे कि इस जल बहाव में सघन छायादार वृक्ष है जिनकी छाया में गांव का पशुधन आश्रय लेता है उचित तो यह है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए खुली कृषि भूमि छोड़ दी जाये लेकिन खनिज विभाग केवल खनिज उत्पादकता के लिए ही कार्य करता है जिसे भूमि और मृदा की उपयोगिता को देखते हुए नहीं करनी चाहिए। इस सबंध में सम्बधित तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, जिला, कलक्टर, संभागीय आयुक्त, पर्यावरण अधिकारी महोदय से भूमि की कृषि परियोजनार्थ मृदा उपयोगिता जल बहाव क्षेत्र की दृष्टि से जांच करवाई जानी चाहिए।

निवेदन है कि जयचन्द लाल डागा द्वारा तहसील – कोलायत व बीकानेर के इसके समवर्ती क्षेत्र में निम्न प्रकार की खानें स्वीकृत है और चालु है जिसके एम एल नं. विवरण इस प्रकार है :
32 / 2018, 44 / 2018, 34 / 2018, 5 / 2003, 31 / 2018, 12 / 2006, 43 / 2009, 1 / 1993, 8 / 2002, 3 / 2018, 44 / 2011, 10 / 2020, 46 / 2009 तथा 45 / 2018 ये खानें पर्यावरण दृष्टि से निरस्त योग्य है क्योंकि इन लीजों में सम्पूर्ण गांवों की कृषि परियोजनार्थ उपलब्ध भूमि में किये जा रहे खनन कार्य से निकलने वाली मिटि्ट के खंड्हर तथा अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे है।

उपरोक्त इन सभी लीजों पर पर्यावरण सम्बधित अनियमिताएं भरपूर है जिसका आपको अवलोकन करना चाहिए व जितना बजट इन खानों के लिए आपको पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए आपको बताया गया है उसका भी अवलोकन आपको करके इस पर्यावरण स्वीकृति को मंजूरी दी जाये।

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान खनिज मंत्री महोदय, खनिज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, सचिवालय, जयपुर।
4. श्रीमान मंत्री महोदय पर्यावरण विभाग, जयुपर।
5. श्रीमान संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
6. श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर।
7. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीकोलायत, बीकानेर।
8. श्रीमान तहसीलदार श्रीकोलायत, बीकानेर।
9. श्रीमान संरपच, ग्राम पंचायत चानी।
10. श्रीमान पर्यावरण अधिकारी, बीछवाल, बीकानेर।

प्रार्थीगण

आ पुराण
९९२९१३६३९८

Recd
2/6/25

परिशिष्ट-'ब' (5)

दिनांक : 3/06/025

229
06/06/2025

सेवामें

श्रीमान् पर्यावरण अधिकारी,
पर्यावरण विभाग, बीछवाल,,
बीकानेर (राजस्थान)।

विषय : ग्राम इन्दों का बाला, चानी, तहसील – कोलायत, जिला – बीकानेर में खनन पट्टा संख्या 88/2018 क्षेत्रफल 3.9787 हेक्टेयर में होने वाली जन सुनवाई में आपत्ति में अपीलार्थ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत हमें ज्ञात हुआ है कि ग्राम – इन्दों का बाला, चानी में खनन पट्टा 88/2018 जो कि श्रीमान जयचन्द लाल डागा के पक्ष में पर्यावरण स्वीकृति हेतु एक बैठक का आयोजन आज दिनांक 02.06.2025 को पर्यावरण समिति द्वारा रखा गया है जिसमें हमारे द्वारा निम्न आपत्तियाँ दर्ज करवाने की कृपा करें।

1. उपरोक्त होने वाली लीज में यहां की भूमि कंकरीली और पथरीली है जिसके क्षेत्र में होकर वर्षा का जल इन्दों का बाला, चानी क्षेत्र में जाता है और थोड़ी सी सेलाबी उत्पादन मृदा में शीतकालीन फसल होती है और इसी जल बहाव क्षेत्र में जहां वर्षा का पानी इर्द गिर्द इकठ्ठा होता है वहां तालाब तलाई आदि भी है और ये तालाब तलाई पेय जल के सघन स्त्रोत है।
2. विदित रहे कि इस जल बहाव में सघन छायादार वृक्ष है जिनकी छाया में गांव का पशुधन आश्रय लेता है उचित तो यह है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए खुली कृषि भूमि छोड़ दी जाये लेकिन खनिज विभाग केवल खनिज उत्पादकता के लिए ही कार्य करता है जिसे भूमि और मृदा की उपयोगिता को देखते हुए नहीं करनी चाहिए। इस सबंध में सम्बधित तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, जिला कलक्टर, संभागीय आयुक्त, पर्यावरण अधिकारी महोदय से भूमि की कृषि परियोजनार्थ मृदा उपयोगिता जल बहाव क्षेत्र की दृष्टि से जांच करवाई जानी चाहिए।

निवेदन है कि जयचन्द लाल डागा द्वारा तहसील – कोलायत व बीकानेर के इसके समवर्ती क्षेत्र में निम्न प्रकार की खानें स्वीकृत है और चालु है जिसके एम एल नं. विवरण इस प्रकार है :
32/2018, 44/2018, 34/2018, 5/2003, 31/2018, 12/2006, 43/2009, 1/1993, 8/2002, 3/2018, 44/2011, 10/2020, 46/2009 तथा 45/2018 ये खानें पर्यावरण दृष्टि से निरस्त योग्य है क्योंकि इन लीजों में सम्पूर्ण गांवों की कृषि परियोजनार्थ उपलब्ध भूमि में किये जा रहे खनन कार्य से निकलने वाली मिट्टि के खंड़हर तथा अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे है।

उपरोक्त इन सभी लीजों पर पर्यावरण सम्बधित अनियमिताएं भरपूर है जिसका आपको अवलोकन करना चाहिए व जितना बजट इन खानों के लिए आपको पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए आपको बताया गया है उसका भी अवलोकन आपको करके इस पर्यावरण स्वीकृति को मंजूरी दी जाये।

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान खनिज मंत्री महोदय, खनिज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, सचिवालय, जयपुर।
4. श्रीमान मंत्री महोदय पर्यावरण विभाग, जयुपर।
5. श्रीमान संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
6. श्रीमान जिला कलक्टर, बीकानेर।
7. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, श्रीकोलायत, बीकानेर।
8. श्रीमान तहसीलदार श्रीकोलायत, बीकानेर।
9. श्रीमान संरपच, ग्राम पंचायत चानी।
10. श्रीमान पर्यावरण अधिकारी, बीछवाल, बीकानेर।

कृष्णनाथ s/o मूलचन्द पुरोहित

प्रार्थीगण

Shanghi
6375986630